

क्रमांक -33222851/भाग-1/सीधी भर्ती/2019/ 551

कार्यालय प्रमुख अभियंता,

जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन,

तुलसी नगर, भोपाल म.प्र.-462003

दूरभाष-2552646, 2552878, 2552822, फ़ैक्स-2552406, 2551253

email:-encwrbpl_mp@nic.in

भोपाल, दिनांक 5/03/2019

प्रति,

.....
.....
.....

विषय : जल संसाधन विभाग में उपयंत्री (सिविल) एवं (वि/यों) के पद पर नियुक्ति बाबत।

-- 0 --

प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार उपयंत्री (सिविल) के पद पर नियुक्ति हेतु आपका चयन किया गया है। उक्त चयन के फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्र.33222851/भाग-1/सीधी भर्ती/179/181/दिनांक 25/1/19 से उपयंत्री (सिविल) एवं उपयंत्री (वि/यों) के पद पर नियुक्ति हेतु दस्तावेजों के सत्यापन कराने हेतु क्रमशः दिनांक 06/02/2019, 07/02/2019 एवं 08/02/2019 को तिथि निर्धारित की गई थी।


जिन अभ्यर्थियों द्वारा उक्त समयावधि में दस्तावेजों का सत्यापन कराने हेतु इस कार्यालय में उपस्थित नहीं हुए हैं उन्हें दिनांक 20/03/2019 तक दस्तावेजों के सत्यापन हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। कृपया निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि में कार्यालयीन समय में आप कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, तुलसीनगर, भोपाल में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों :-

1. शैक्षणिक योग्यता, निवास एवं जाति संबंधी सभी मूल दस्तावेज एवं उक्त दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियाँ ।
2. रंगीन पासपोर्ट फोटो (अद्यतन)
3. संलग्न प्रपत्र में शपथ पत्र नोटरी के सील हस्ता. सहित ।
4. जिला मेडिकल बोर्ड से स्वास्थ्य संबंधी चिकित्सा मूल प्रमाण पत्र।
5. मूल आधार कार्ड।

उक्तानुसार शैक्षणिक योग्यता, निवास, जाति संबंधी एवं आधार कार्ड आदि दस्तावेजों को सही पाये जाने पर ही आपको नियुक्ति आदेश प्रदान किया जाएगा।


साथ ही चरित्र सत्यापन प्रपत्र संलग्न हैं जिसे भरकर संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्त अवधि में उपस्थित ना होने की दशा में आपका विभाग में चयन निरस्त माना जावेगा।

प्रमुख अभियंता द्वारा अनुमोदित


(अमिताम मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

पृष्ठ. क्रमांक -33222851/भाग-1/सीधी भर्ती/2019/552 भोपाल, दिनांक 5/03/2019
प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. ✓ वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल।
कृपया विभागीय वैबसाइट पर प्रविष्ट करें।


(अमिताभ मिश्रा)
अधीक्षण यंत्री (प्रशासन)

शपथ पत्र रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर किया जाना है।

// शपथ पत्र //

मैं.....आत्मज.....आयु.....

निवासी.....जाति.....निम्नानुसार शपथपूर्वक

यह कथन करता हूँ कि :-

1. मेरे विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण किसी भी न्यायालय में अथवा तत्समान संस्था में दर्ज नहीं है। यदि है तो विवरण संलग्न है।
2. किसी भी न्यायालय में आपराधिक प्रकरण में मुझे किसी भी प्रकरण में दण्डित नहीं किया गया है। यदि किया गया है, तो दण्डादेश संलग्न है।
3. मेरे विरुद्ध किसी भी पुलिस थाने में कोई प्रकरण दर्ज नहीं है।
4. मेरे द्वारा चरित्र सत्यापन हेतु प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी पूर्णतः तथ्यों पर आधारित है तथा सत्य है।
5. मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त जानकारी मेरे द्वारा पूर्ण संज्ञान में दी गयी है। मैं इस बाबत भी सहमति व्यक्त करता हूँ कि यदि चरित्र सत्यापन में मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य सिद्ध होती है, तो मेरी नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

शपथ कर्ता का नाम.....

हस्ताक्षर.....

दिनांक.....

साक्षी -

स.क. नाम

पता

हस्ताक्षर

(1)

(2)

परिशिष्ट-एक

[देखिए पैरा ३ (क)]

अनुप्रमाणन फार्म

चेतावनी

अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी देना या किसी तथ्यात्मक जानकारी को छिपाना अनर्हता मानी जाएगी और ऐसा करने से उम्मीदवार शासन के अधीन नियोजन के लिए अनुपयुक्त ठहराया जा सकेगा.

२. यदि इस फार्म को भरने और भेजने के बाद उम्मीदवार को नजरबंद या गिरफ्तार किया जाता है, जदवा जदर मुकदमा चलाया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है अथवा उस पर जुर्माना किया जाता है, या उसे दोषसिद्ध किया जाता है, अथवा उसे विदग्धित किया जाता है या दोषनुक्त आदि किया जाता है तो ब्यारे, यथःस्थिति, राज्य लोक सेवा आयोग या उस प्राधिकारी को, जिसे अनुप्रमाणन फार्म पहले भेजा गया हो, तत्काल सूचित किए जाने चाहिए, अन्यथा यह माना जाएगा कि तथ्यात्मक जानकारी छिपाई गई है अतः वह स्वयं उम्मीदवार के हित में होगा कि वह उन मामलों के पूरे ब्यारे प्रस्तुत करें, जिनमें उसे गिरफ्तार किया गया था, उस पर अभियोजन चलाया गया था, आदि, भले ही मामला अतिरिक्त रूप से प्रतिवेदित कर दिए गए हों (जात्रा), वापस ले लिए गए हों, या उनमें अन्ततः दोषनुक्ति हो गई हो या मजबूत कर लिया गया हो.

३. यदि यह तथ्य कि अनुप्रमाणन फार्म में असत्य जानकारी दी गई है या यह कि कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई है, किसी व्यक्ति की सेवा के दौरान किसी भी समय ध्यान में आए तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.

१. पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में) कुलनाम (सरनेम) नाम
 तथा उपनाम, यदि कोई हो
 (यदि आपने किसी भी अवस्था में अपने नाम या कुलनाम में कुछ जोड़ा हो या हटाया हो तो कृपया उम्मीद उल्लेख कीजिए)

२. वर्तमान पूरा पता (अर्थात् ग्राम, घाना तथा जिला, या घर क्रमांक पत्ती (मार्ग) सड़क तथा नगर और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

(क) घर का पूरा पता (अर्थात् ग्राम, घाना, तथा जिला या घर क्रमांक, पत्ती (मार्ग) सड़क तथा नगर और जिला मुख्यालय का नाम और राज्य, जिसमें वह स्थित हो)

(क)

(ख)

- यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी हों तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवास की तारीख.

निवास अवधियों सहित उन स्थानों के बारे में, जहाँ आप पिछले पांच वर्षों के दौरान एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों. यदि विदेश (जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है) में रहे हों तो उन सभी स्थानों के बारे में दिए जाने चाहिए जहाँ आप २१ वर्ष की आयु के बाद एक वर्ष से अधिक समय तक रहे हों.

से

तक

निवास का पूरा पता
(अर्थात् ग्राम, नाना
तथा जिला, अथवा घर
क्रमांक गली (मार्ग)
सड़क तथा नगर)
(३)

पूर्ववर्ती खाने में उल्लिखित
स्थान के जिला-मुख्यालय का
तथा वह राज्य, जिसमें
वह स्थित हो.

(४)

(१)

(२)

पिता का

(क)

(क) पूरा नाम तथा उपनाम, यदि कोई हो

(ख) वर्तमान आक-पता

(ख)

(ख) यदि स्थायी निवास हो गया हो तो पिछला पता दीजिए)

(ग) घर का स्थायी पता

(ग)

(घ) दायजदार

(घ)

(ङ) यदि किसी देश में हों तो

(ङ)

उसके वर्तमान तथा पूर्ववर्ती पता का नाम दीजिए

(एक) नीचे उल्लिखित व्यक्तियों की राष्ट्रीयता

- (क) पिता (क)
(ख) माता (ख)
(ग) पति/पत्नि (ग)
(घ) उम्मीदवार (घ)
(दो) पति/पत्नि का जन्मस्थान (दो)

- (क) जन्म तारीख (क)
(ख) वर्तमान आयु (ख)
(ग) मेट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के समय आयु (ग)

- (क) जन्मस्थान, जिला तथा राज्य (क)
जिसमें वह स्थित हो.
(ख) वह जिला तथा राज्य जहाँ के आस (ख)
निवासी हैं।

- (क) आपका धर्म (क)
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित (ख)
आदिम जाति के सदस्य हैं? हाँ या

नहीं में उत्तर दीजिए और यदि आपका उत्तर हाँ में हो तो उस जाति विशेष का नाम लिखिए।

सैराजिक अर्हताएं :-

वर्ष सहित उन स्थानों के नाम लिखिए जहाँ आपने शालाओं और महाविद्यालयों में १५ वर्ष की आयु से अध्ययन किया है।

शाला/महाविद्यालय का नाम तथा पूरा पता (१)	प्रवेश की तारीख (२)	शाला/महाविद्यालय छोड़ने की तारीख (३)	उत्तीर्ण परीक्षा (४)
--	---------------------	--------------------------------------	----------------------

यदि आप कामों नियोजित रहे हों तो तत्संबंधी और दीजिए--

व्यक्ति का नाम या कार्य का स्वरूप (१)	अवधि से तक (२)	कार्यालय, फर्म अथवा संस्था का पूरा पता (३)	नियुक्ति सेवा छोड़ने के कारण (४)
---------------------------------------	----------------	--	----------------------------------

१२. (क) क्या आप कभी विरस्तार दिए गए हैं, क्या आप पर कभी अविरोध चलाया गया है, क्या आप कभी निरस्त किए गए हैं या आपसे मुचलका लिया गया है। आप पर जुर्माना किया गया है क्या आप किसी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी ठहराये गये हैं या आपको किसी भी लोक सेवा आयोग द्वारा, उसके द्वारा संचालित परीक्षाओं/किए जाने वाले चरणों में सम्मिलित होने से वर्जित किया गया है। उसके लिए अनर्ह ठहराया गया है, या क्या आपको किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित किया गया है/निष्कासित किया गया है।

(ख) क्या इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय किसी भी न्यायालय, विश्वविद्यालय या किसी भी शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था में आपके विरुद्ध कोई मामला लम्बित है? यदि (क) अथवा (ख) में पूछे गये प्रश्नों के संबंध में आपके उत्तर हाँ में हों तो आपको इस अनुप्रमाणन फार्म को भरते समय मामले, गिरफ्तारी, निरोध, जुमाने, दोषलिप्त तथा एचआइए आदि के पूरे व्यूरे प्रस्तुत करने चाहिए तथा इस फार्म को भरते समय न्यायालय/विश्वविद्यालय/शैक्षणिक प्राधिकरण आदि के समक्ष जो मामला लम्बित हो उसका स्वरूप बतलाना चाहिए। इस जानकारी के अतिरिक्त, जहाँ लागू हों वहाँ निम्नलिखित व्यूरे भी दिए जाएँगे :-

- (एक) अपराध/आरोप.
 (दो) पुलिस थाने में पंजीयित.
 (तीन) यदि न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो तो न्यायालय का नाम.
 (चार) मामले का लभांक, न्यायालय द्वारा उसका निपटारा किस तारीख को किया गया.
 (पांच) दिया गया दंड.
 (छह) क्या दोजमुक्त कर दिया गया?
 (सात) दोषनुक्ति संदेह के ताम पर आधारित थी या मामला वापस ले लिया गया था।

टिप्पणी.—अभ्यर्थी इस अनुप्रमाणन फार्म के ऊपर दी गई चेतावनो नोट करें।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 तारीख स्थान

१३. आपके मोहल्ले के ऐसे दो उत्तरदायी व्यक्तियों या (१)
 दो निदेशियों (रिफरियों) के नाम, जो आपको (२)
 जानते हों।

मैं प्रमाणित करता हूँ कि पूर्ववर्ती जानकारी, जहाँ तक मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है, सही और पूर्ण है। मैं ऐसी किसी भी परिस्थितियों से अवगत नहीं हूँ जिनके कारण शासन के अधीन नियोजन पाने के लिए मेरी अनुकूलता धीन होती हो। मैं इस बात से सहमत हूँ कि यदि उपर्युक्त जानकारी किसी सारभूत तथ्य के संबंध में असत्य या अपूर्ण पाई जाए तो नियुक्ति प्राधिकारी को, बिना सूचना दिए या बिना कारण बताए मेरी सेवाएं समाप्त करने का अधिकार होगा और उसका निर्णय मुझ पर बंधनकारी होगा।

उम्मीदवार के हस्ताक्षर
 तारीख स्थान

(प्रमाण-पत्र पर निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसी भी एक के हस्ताक्षर होने चाहिए) :-

- (एक) केन्द्रीय या राज्य शासन का राजपत्रित अधिकारी
(दो) संसद या राज्य विधान मण्डल का सदस्य ।
(तीन) सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट / अधिकारी ।
(चार) तहसीलदार या नायब तहसीलदार जो मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत हो ।
(पाँच) शासकीय तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त सभी शैक्षणिक संस्थाओं के प्रधानाचार्य तथा प्रमुख ।
(छः) खण्ड विकास अधिकारी ।
(सात) पोस्ट मास्टर ।
(आठ) पंचायत निरीक्षक ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
पिता/पति श्री को पिछले वर्ष
माह से जानता हूँ तथा इद्वारा दिये गये ब्योरे मुझे पता है और जहाँ तक मेरा विश्वास है सही है।

स्थान : .

तारीख :-

हस्ताक्षर

पद का नाम

तथा पता

कार्यालय द्वारा भरा जावे

1. नियुक्ति अधिकारी का नाम, पद नाम
और पूरा पता
2. पद जिसके लिये उम्मीदवार के
संबंध में विचार किया जा रहा है।